न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 46/2015

1. रामकरण
2. जगदीश
3. सरदारा

पुत्रान बिरदू, जाति अहीर, निवासियान ग्राम बहडोदा, पटवार हल्का ढाणी गैसकान, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

——अपीलांटस्

बनाम

1. छीतर पुत्र श्योसहाय
2. हनुमान (फौत) पुत्र श्योसहाय
   - 2/1 भंवरी पत्नी हनुमान
   - 2/2 रामेश्वर
   - 2/3 सुवालाल
   - 2/4 कैलाश
   - 2/5 सोहन
   - 2/6 शंकर

   पुत्रान् स्व. हनुमान
   - 2/7 कमली
   - 2/8 लाली

   पुत्रियान हनुमान
3. जयराम
4. धूडाराम
5. छोटूराम
6. प्रकाश

   पुत्रान घीसा अहीर
7. केसरी पत्नी घीसा अहीर (फौत)
   - 7/1 जयराम
   - 7/2 धूड़ा
   - 7/3 छोटू
   - 7/4 प्रकाश

   पुत्रान केसरी
   - 7/5 शांति
   - 7/6 भारती
   - 7/7 डाली

   पुत्रियान केसरी

समस्त जाति अहीर, निवासियान ग्राम बहडोदा, पटवार हल्का ढाणी गैसकान, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

8. सुरजी देवी पुत्री भूरा, पत्नी कालूराम
9. मन्नी देवी पुत्री भूरा (फौत) पत्नी भंवरलाल
   - 9/1 भंवरा पत्नी मन्नी
   - 9/2 भागीरथ
   - 9/3 शिम्भू
   - 9/4 रामनिवास
   - 9/5 प्रहलाद
   - 9/6 कैलाश
   - 9/7 भरता

     (9/2 से 9/7) पुत्रान् मन्नी
   - 9/8 मोजी
   - 9/9 आंची

     (9/8 व 9/9) पुत्रियान् मन्नी

   (उपरोक्त समस्त) समस्त जाति अहीर, निवासियान ग्राम बहडोदा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
10. उप–पंजीयक, विराटनगर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
11. सरकार जरिये तहसीलदार, विराटनगर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

———रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादगण

उपस्थित अधिवक्तागणः—

1— श्री हेमन्त दीक्षित, अपीलांट की ओर से।

2— श्री रामबाबू पारीक, रेस्पोडेंट की ओर से।

:— निर्णय :— दिनांक :— 03—11—2017

1— यह अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर जिला जयपुर दिनांक 10—2—2015, जिसके द्वारा [illegible] अपीलार्थीगण की खातेदारी समाप्त की प्रस्तुत की गई है।

2— वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बहडौदा के साबिक खसरा नंबर 242, 267, 282, 287, 305, 307, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 321, 335 कुल किता 16 कुल रकबा 46 बीघा 6 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के पिता भूरा की संयुक्त खातेदारी भूमि रही है। उक्त भूमि का हिस्सा 1/2 वादी एवं 1/2 हिस्सा भूरा की संयुक्त खातेदारी में रहा है। भूरा ने हाल सैटलमेंट कर्मचारियों से साज कर अपना नाम खातेदारी में दर्ज करा लिया एवं बिना किसी कानूनी बंटवारे के अपने नाम खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पृथक से दर्ज करा ली एवं कुछ नम्बरों को संयुक्त रखते हुए, शेष नम्बरों में से कुछ नम्बरों की वादी के नाम खातेदारी पृथक से दर्ज करा ली, साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम भी बिना किसी अधिकार के खातेदारी दर्ज करा ली, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने कभी भी वादी के साथ संयुक्त खातेदार की हैसियत से काश्त नहीं की थी। हाल सैटलमेन्ट कर्मचारियों को भूमि का बंटवारा करने या राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के स्थान पर किसी दीगर व्यक्ति के नाम बिना किसी अधिकार के इन्द्राज करने का कोई हक अधिकार नहीं है, जिससे उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य है। हाल सैटलमेंट में हाल खसरा नम्बर 403/0.44, 441/0.76, 461,0.99, 386/580/0.10 कुल किता 4 कुल रकबा 2.29 हैक्टैयर भूमि की खातेदारी का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने सैटलमैंट कर्मचारियों के दौरान वादी के कब्जे काश्त के आधार पर पर्चा में खसरा नम्बर 403, 441, 461 वादी के पर्चे में दर्ज किये गये हैं। उसके बावजूद वादी की खातेदारी में उक्त नम्बरान को दर्ज नहीं कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम खातेदारी दर्ज की गई, जो गैरकानूनी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 के मध्य कभी भी कानूनी बंटवारा नहीं हुआ, परन्तु मौके पर काश्त की सुविधा से मौखिक तौर पर पारिवारिक समझौते के अनुसार अलग–अलग भूमि बांटकर काश्त करते चले आ रहे है। साबिक रिकॉर्ड के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10, 11 के पिता भूरा की संयुक्त खातेदरी भूमि से बने नये नम्बर 386/0.09, 439/0.01, 440/0.22 कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 हैक्टैयर भूमि को संयुक्त खातेदारी में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 लगायत 8 के पिता व 10 व 11 की माता के नाम दर्ज रिर्कार्ड किया है। खसरा नम्बर 439 में चाह बनी है व खसर नम्बर 440 आबादी है एवं खसरा नम्बर 442, 443, 533, 546, 547 कुल किता 5 कुल रकबा 3.09 हैक्टैयर भूमि वादी के नाम व खसरा नम्बर 399, 404, 434, 435, 436, 437, 438, 465, 532, 541, 542, 543, 544, 545 कुल किता 15 कुल रकबा 5.65 हैक्टैयर भूमि प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 के नाम दर्ज की है तथा खसरा नम्बर 403, 441, 461, 386/580 कुल किता 4 कुल रकबा 2.29 हैक्टैयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज की है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का उक्त भूमि से कोई लेना–देना नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 जो कि

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

1/2 हिस्से के अधिकारी है के हिस्से में जहां 5.65 हैक्टैयर भूमि दर्ज की गई है। वहीं वादी जो कि 1/2 हिस्से का अधिकारी है के हिस्से में मात्र 3.09 हैक्टैयर भूमि ही दर्ज की है एवं वादी के हिस्से की भूमि कम करके प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम 2.29 हैक्टैयर भूमि बिना किसी अधिकार के दर्ज की गई है जो गलत है। अतः रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर वादी को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने खसरा नम्बर 386/580/0.10 हैक्टैयर भूमि को खातेदारी के आधार पर प्रभू पुत्र धन्ना माली को बेचान कर दिया है। वहीं खसरा नम्बर 386/0.09 जो संयुक्त खातेदारी में थी का भी बेचान वादी व प्रतिवादीगण ने प्रभू पुत्र धन्ना माली को कर दिया है। साबिक रकबा 46 बीघा 6 बिस्वा से बने नये रिकॉर्ड का रकबा वादी की खातेदारी में 3.09 हैक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम 2.29 हैक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 के नाम 5.65 हैक्टैयर एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 के 0.32 हैक्टैयर संयुक्त खातेदारी में है, जो कुल रकबा 11.35 हैक्टैयर बना है, जिसकी 45 बीघा 8 बिस्वा भूमि ही बनती है। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 के हिस्से में 5.65 हैक्टैयर का इन्द्राज करा लेने से इनके हिस्से में 22 बीघा 12 बिस्वा भूमि दर्ज हो गई, जिसमें 0.16 हैक्टैयर संयुक्त खातेदारी की आधी भूमि दिलाने से 45 बीघा 8 बिस्वा के आधे से ज्यादा हिस्सा होती है, जबकि वादी के हिस्से में 3.09 हैक्टैयर संयुक्त खातेदारी की भूमि मिलाने से 3.09+0.16 कुल 13 बीघा भूमि होती है। इस प्रकार भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज भूमि वादी के हिस्से की भूमि होती है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम बहडौदा के हाल खसरा नम्बर 403/0.44, 441/0.76, 461/0.99 हैक्टैयर का वादी को खातेदार काश्तकार घाषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे अन्यथा में साबिक रिकॉर्ड के खसरा नम्बर किता 16 रकबा 46 बीघा 6 बिस्व के 1/2 हिस्स आधार पर भूमि का बंटवारा कर वादी की भूमि पर पृथक से कब्जा संभलाया जावे एवं हाल रिकॉर्ड सं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम हजफ कर रिर्काड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे रिकॉर्ड के अनुसार एवं बंटवारे में आयी वादी के हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बेजा दखल नहीं करें, शांतिपूर्वक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

उपयोग–उपभोग करने में प्रतिवादी संख्या 13 वादी के हिस्से की भूमि का किसी व्यक्ति के हक में बिना बंटवारे के विक्रय पत्र पंजीयन नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10–2–2015 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाकर वादी रेस्पोडेंट को ग्राम बहडौदा के खसरा नबंर 403, 441, 461 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 छीतर व अपीलार्थीगण का स्वर्गीय पिता बिडदू सगा भाई था, एवं बिडदू व छीतर बोदू की जायन्दा सन्तान (पुत्रान) एवं मृतक बिडदू के अपीलार्थीगण पुत्र है। यह एक स्वीकृत तथ्य है। वादी छीतर व अपीलार्थीगण का पिता बिडदू व बिडदू की मृत्यु के पश्चात छीतर के साथ अपीलार्थीगण निर्विध्न रूप से वादी के साथ संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। एवं अपीलार्थीगण के पिता बिडदू की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थीगण संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं एवं अपीलार्थीगण के पिता बिडदू की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं एवं भूमि वादग्रस्त में वादी के 1/2 हिस्से में अपीलार्थीगण का 1/2 हिस्सा अर्थात 1/4 हिस्सा एवं वादी ने अपनी सहमति से दौराने सेटलमेन्ट खसरा नबंर 403, 441, 461 रकबा 2.29 की खातेदारी अपीलार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड करवा ली। सुयोग्य परीक्षण न्यायालय ने वादी द्वारा अपने वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के बाहर जाकर डिक्री जैर अपील पारित करने में गम्भीर कानूनी भूल की है। वादी का वाद कब्जे के अभाव में पोषनीय ही नहीं था। स्वयं वादी ने अपने वाद पत्र के यह अनुतोष मांगा है, कि प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी के कब्जा करवाया जावे, इससे यह भली–भांति साबित हो जाता है कि भूमि वादग्रस्त पर वादी काबिज नहीं रहा है, विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कब्जे के अभाव में घोषणा का वाद पोषनीय ही नहीं है। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर कतई कोई ध्यान न देकर निर्णय एवं डिक्री जैर अपील पारित करने में गंभीर कानूनी भूल की है। विधि का यह सुस्थापित मत है कि काबिज व्यक्ति को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता। पीडब्लू–2 ने अपने मुख्य परीक्षण मे यह कहा है कि आराजी मुतनाजा को भूरा व छीतर दोनों ने खरीदी थी जबकि भूमि वादग्रस्त को खरीदना किसी भी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया गया है, एवं ना ही किसी प्रकार का कोई विक्रय पत्र पेश नहीं किया तनकी संख्या 1 के निर्णय में परीक्षण न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का तोड–मरोड़ कर एवं इसका गलत अर्थ निकालकर तनकी संख्या 1 का निर्णय करके अपीलार्थीगण के विरूद्ध निर्णित करने में गंभीर कानूनी भूल की है। परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 का निर्णय अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णित करने में गम्भीर कानूनी भूल की है एवं अभिकथनों के विपरीत तनकी संख्या 2 का निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है, अपीलार्थीगण ने अपने जवाब दावे के पैरा नम्बर 2 मे यह स्पष्ट रूप से आपत्ति की थी कि मृतक भूरा के पीछे उसके वारिसान में उसकी दो लडकिया मु. गोढी व मु. पांची और है, जिन्हें वादी ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया तथा मृतक भूरा के एक लड़का बालू हुआ था जो फौत हो गया उसके दो लडकिया राधा व रूकमा भी भूरा के वारिसान के रूप में मौजूद है जिन्हें भी पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया जो कि वाद में आवश्यक पक्षकार थी। वादी छीतर ने साक्ष्य में यह कथन किया कि बिडदू, छोटू अहीर पणितपुरा के यहां गोद चला गया किन्तु इस तथ्य को साबित करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य गोदनामा आदि वादी द्वारा पेश नहीं किया गया। भूमि वादग्रस्त पर वादी छीतर की उत्पत्ति कैसे व किस प्रकार हुई वादी ने अपने वाद पत्र में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया जबकि वादी को अपनी origion Of Tenancy (उत्पत्ति) बताना आवश्यक था, इस प्रकार सुयोग्य परीक्षा न्यायालय ने तनकी संख्या तीन व चार का निर्णय अपीलार्थीगण के विरूद्ध निर्णित करने में परीक्षण न्यायालय ने गम्भीर कानूनी भूल की है।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी द्वारा वाद घोषणा विभाजन व निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में जवाब दावा दिया गया व कांउटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। अपीलाधीन निर्णय 10–2–2015 द्वारा वादी–रेस्पोडेंट का दावा डिक्री कर दिया गया जिसमें अपील प्रस्तुत की गई। प्रकरण में मुख्य तनकी 1 है। रकबा कम होने संबंधी पूर्ववर्ती दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये जिनसे यह सिद्ध होता है कि रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

कम हुआ है। वादी द्वारा अपने कब्जे को साबित नहीं किया गया है। कब्जे के संबंध में गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गई। कब्जे के अभाव में निषेधाज्ञा व घोषणा प्राप्त नहीं की जा सकती है (1988 RRD 703)। प्रतिवादी संख्या 4, 9, व 10 दौराने दावा फौत हो गये थे। वादी द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई तथा डिक्री मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित की गई है। जो शून्य है (1973 RRD 438) न्यायालय हाजा में दिनांक 10–6–2015 को अपीलांट द्वारा आदेश 22 नियम 4 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें रेस्पोडेंटस की मृत्यु की तारीख है, अंकित की गई है जिन पर रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपत्ति नही की गई है। इसका आशय यह है कि रेस्पोडेंट द्वारा प्रतिवादीगण की मृत्यु दौराने दावा होने की अभिस्वीकृति दी गई है। कांउटर क्लेम पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया है तथा दावा बंटवारे का भी था जिसके बारे में भी कोई निर्णय नहीं किया गया है। सह–खातेदार को निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि बंटवारे के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया है। इस प्रकार कब्जे के बिना घोषणा का दावा नहीं चलने तथा डिक्री मृत व्यक्तियों के खिलाफ होने तथा कांउटर क्लेम पर कोई निर्णय नहीं करने के कारण अपीलाधीन निर्णय में तथ्य एवं विधि की सारभूत त्रुटि कारित की गई है अतः अपीलाधीन निर्णय खारिज फरमाया जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा बहस का जवाब देते हुए कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–2–2015 का है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं रहा है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेचना उपरान्त तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। काउंटर क्लेम के संबंध में भी तनकी बनाई जाकर निर्णय किया गया है। प्रकरण में पक्षकारों की तामील हो चुकी थी तथा तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 4, 9 व 10 की मृत्यु हो गई थी। प्रतिवादीगण की जिम्मेदारी थी कि वे मृत्त व्यक्तियों के संबंध में सूचना देते (आदेश 22 नियम 10 सी.पी.सी.) प्रतिवादी संख्या 9 केशरी के वारिसान पूर्व से रिकॉर्ड पर है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं होने के संबंध में कोई वाद वादी द्वारा नहीं किया गया है बल्कि विभाजन कर पृथक–पृथक कब्जा देने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है इसलिए अपील खारिज योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

7– रिबटल में अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया कि वादी को अपना वाद स्वयं सिद्ध करना होता है जो कि प्रस्तुत प्रकरण में नहीं किया गया।

8– हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा अपील में मुख्य आधार यह लिये गये हैं कि वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के बाहर जाकर डिक्री पारित की गई है, कब्जे के अभाव में घोषणा का वाद पोषनीय नहीं हैं, काबिज व्यक्ति के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है, मृतक भूरा के समस्त वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है, बिडदू का गोद जाना साबित नहीं किया है, अपीलांट्स के काउंटर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है, मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय व डिक्री जारी की गई है। इन आधारों का परीक्षण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी एवं बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा का था। वादीगण द्वारा हाल खसरा नम्बर 403, 441, 461, का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं भूमि का बंटवारा कर वादी को पृथक से कब्जा संभलाया जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को खसरा नम्बर 403, 441, 461 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम हजफ करने के आदेश अपीलाधीन निर्णय द्वारा पारित किये गये हैं। अपीलाधीन निर्णय में वादीगण द्वारा चाहे गये बंटवारे के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण अपीलांट्स द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि भूरा के पीछे उसके वारिसान में दो लडकियां गोठी व आंची है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा भूरा के एक लडका बालू हुआ था जो फौत हो गया है उसकी दो लडकियां राधा व रूकमा भी भूरा के वारिसान के रूप में उनको भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावे के साथ कांउटर क्लेम प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम साविका रिकॉर्ड में दर्ज भूमि के 1/4 भाग से जो भूमि कम दर्ज है उसे वादी के नाम से कम कर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज की जावे। वादीगण द्वारा जवाब काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर काउंटर क्लेम को खारिज कर वादी का वाद डिक्री करने का निवेदन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काउंटर

राजस्व अपील प्राधिकारी

क्लेम के संबंध में तनकी संख्या 4 कायम की गई हैं परन्तु तनकी के विवेचन के आधार पर अंतिम निर्णय कांउटर क्लेम बाबत् पारित नहीं किया गया है। दावे में प्रतिवादी संख्या 4, 9 व 10 की मृत्यु होना रेस्पोडेंट्स द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 में प्रस्तुत कर अंकित किया है कि मन्नी प्रतिवादी संख्या 10 की मृत्यु दिनांक 18–5–2008 को, रेस्पोडेंट हनुमान प्रतिवादी संख्या 4 की मृत्यु दिनांक 25–3–2013 को तथा रेस्पोडेंट केसरी प्रतिवादी संख्या 9 की मृत्यु दिनांक 28–6–2008 को हुई है। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपील में उक्त मृत्यु तिथियों के बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। इसका आशय यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 4, 9 व 10 की दौराने दावा मृत्यु हो चुकी थी तथा उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया हैं। रेस्पोडेंटस का यह कथन कि इनकी मृत्यु की सूचना देने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण अपीलांटस की भी थी, उनको अपने दायित्व से मुक्त नहीं कर देती है। इससे यह साबित है कि अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब दावे में किये गये कथन कि, कुछ आवश्यक पक्षकारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया हैं, के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय "Non-joinder of necessary parties" के दोष से ग्रसित है तथा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित निर्णय है जो एक Nullity है। अपीलाधीन निर्णय में कांउटर क्लेम को भी निर्णित नहीं किया गया है तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये तथाकथित सहमति के बंटवारे एवं उसके आधार पर तैयार राजस्व रिकॉर्ड को अवैध तनकी संख्या 1 में माना गया है परन्तु वादीगण द्वारा चाहे गये बंटवारे के अनुतोष पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में विधि की सारभूत त्रुटि कारित की गई है तथा निर्णय बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य है।

9– अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10–2–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि समस्त आवश्यक पक्षकारों को संयोजित किया जाकर प्रकरण में उपर्युक्त विवेचना अनुसार गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

नंबर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित लौटाई जावे।

10— निर्णय आज दिनांक 03—11—2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर